

जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने पर शासनादेश दिनांक 22.06.2018 एवं 15.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
(नवीन इकाई हेतु)

1. इकाई का नाम व पता –
2. प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक/ –
मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम
पदनाम, टेलीफोन/मोबाईल नं एवं ई-मेल
पता
3. मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2002 के –
अंतर्गत टिन (TIN) :
4. पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरण एवं – वस्तु का नाम वेट की दर
दिनांक 01.07.2017 के पूर्व लागू वेट की
दर:
5. जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत –
पंजीयन क्रमांक (GSTN) :
6. पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरण एवं – वस्तु का नाम एसजीएसटी की दर
दिनांक 01.07.2017 तथा उसके पश्चात
लागू एसजीएसटी की दर :
7. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का –
दिनांक
8. एम.पी.इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन –
लि., (पूर्व नाम एम.पी.ट्रायफेक) द्वारा जारी
पंजीयन क्र./प्रोपोसल आईडी क्र. एवं
दिनांक
9. इकाई में नियोजित कुल रोजगार की –
जानकारी

क्र.	विवरण	म.प्र.के मूल निवासी	म.प्र.से बाहर के निवासी	कुल
1.	प्रबंधकीय			
2.	सुपरवाइजर			
3.	श्रमिक			
	कुल			

10. अ. वर्ष 2016–17 में राज्य एवं केन्द्रीय करों के – राशि रु.....
अंतर्गत इकाई को अप्राप्त कुल इनपुट टैक्स
क्रेडिट
- ब. आवेदित वर्ष.....में इकाई को अप्राप्त – राशि रु.....
कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट

11. वर्ष 2016-17 में ग्रॉस टर्नओवर/कुल सप्लाई – राशि रु.....
12. आवेदित वर्ष में कुल ग्रॉस टर्नओवर/ – राशि रु.....
कुल सप्लाई
13. उत्पादन प्रमाण पत्र/आईईएम पार्ट-बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा :-

क्र.	वस्तु का नाम	वार्षिक क्षमता			
		नवीन इकाई	विस्तारित इकाई		
			स्थापित	विस्तारित	कुल

14. नवीन स्थापित इकाई के लिये :- आवेदित वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय/ सप्लाई की जानकारी। विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा। स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा।

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता	वर्षमें किया गया उत्पादन		वर्ष.....में किया गया विक्रय/सप्लाई (स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर)।	
			मात्रा	राशि	मात्रा	राशि

15. ऐसी नवीन स्थापित इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 31.03.2014 के पूर्व का है, दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के बीच हुआ है एवं जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 के बीच हुआ है। उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय गणक आंकलित करने हेतु आवेदित वर्ष से पूर्व वर्षों के विक्रय की जानकारी। विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा। स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा :-

क्र.	उत्पाद का नाम	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता	विगत प्रथम वर्ष 2014-15 में विक्रय		विगत द्वितीय वर्ष 2015-16 में विक्रय		विगत तृतीय वर्ष 2016-17 में विक्रय		वर्ष 2017-18 के विक्रय की जानकारी		वर्ष 2018-19 के विक्रय की जानकारी	
			मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि

16. नवीन स्थापित इकाई के लिये जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ हो :-

(अ) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 30.06.2017 की अवधि में जमा वैट/सीएसटी की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सत्यापन सहित :-

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता	वाणिज्यिक उत्पादन दिनांकसे दिनांक 30.06.2017 की अवधि में किया गया विक्रय		उत्पादन दिनांक..... से 30.06.2017 की अवधि में किये गये उत्पादन के विरुद्ध विक्रय पर जमा वास्तविक कर राशि जिसमें क्रय किये गये कच्चेमाल पर चुकाए गए कर की राशि सम्मिलित नहीं है (राशि पूर्ण रूपों में)		
			मात्रा	राशि	वैट	सीएसटी	राशि

(ब) इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ है उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये आधार राशि एवं विक्रय की जानकारी। वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों हेतु स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा :-

उत्पाद का नाम	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता	उत्पादन दिनांक..... से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में जमा किये गये टैक्स के आधार पर यथानुपात वर्ष 2017-18 में जमा कर (आधार राशि सम्पूर्ण पात्रता अवधि हेतु)	उत्पादन दिनांक.....से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात (prorata) के आधार पर वर्ष 2017-18 का औसत वार्षिक विक्रय (वर्ष 2017-18 का विक्रय)		आवेदित वर्ष 2018-19 का विक्रय		आवेदित वर्ष 2019-20 का विक्रय	
			राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा

17. अन्य कोई विवरण :-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत सहायता राशि 18 प्रतिशत के दायिदक ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर एवं सील)

(हस्ताक्षर एवं सील)

सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor) /
चार्टर्ड एकाउंटेंट

नाम.....
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक /
मुख्य वित्तीय अधिकारी
इकाई का नाम

:: घोषणा पत्र ::

1. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा शासनादेश दिनांक 15.03.2021 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 से 17 तक दिया गया विवरण सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय की जानकारी में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है।

विस्तार अंतर्गत सुविधा हेतु स्थापित क्षमता से ऊपर के अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन पर किये गये विक्रय की ही जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है।

2. आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक-10 के **अ** एवं **ब** में उल्लेखित की गयी अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी पूर्णतः सत्य है।
3. इकाई/कम्पनी की आवेदित वर्ष.....की बैलेंस शीट कम्पनी के ऑडिटर द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित की जा चुकी है/अंतिम रूप से सत्यापित नहीं की गई है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत/वितरित सहायता राशि 18 प्रतिशत के दायिदक ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी।
5. मैं घोषणा करता हूं कि शासन आदेश क्रमांक एफ 16-18/2017/ए-ग्यारह, दिनांक 22.06.2018, 06.08.2019 एवं 15.03.2021 के प्रावधान अनुसार सहायता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान करता हूं तथा यह भी घोषणा करता हूं कि इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दूंगा।

(हस्ताक्षर एवं सील)

नाम.....
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक
/मुख्य वित्तीय अधिकारी
इकाई का नाम

साक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर :

1 : _____

2 : _____

जी.एस.टी व्यवस्था लागू होने पर शासनादेश दिनांक 22.06.2018 एवं 15.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत/प्रावधानित सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
(विस्तारित/शवलीकृत इकाई हेतु)

1. इकाई का नाम व पता —
2. प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक/मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन/मोबाईल नं एवं ई-मेल पता —
3. मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2002 के अंतर्गत टिन (TIN) : —
4. पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरण एवं दिनांक 01.07.2017 के पूर्व लागू वेट की दर — वस्तु का नाम वेट की दर
5. जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTN) : —
6. पंजीकृत उत्पादित वस्तुओं का विवरण एवं दिनांक 01.07.2017 के पश्चात लागू एसजीएसटी की दर : — वस्तु का नाम एसजीएसटी की दर
7. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —
8. एम.पी.इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., (पूर्व नाम एम.पी.ट्रायफेक) द्वारा जारी पंजीयन क्र./प्रोपोसल आईडी क्र. एवं दिनांक —
9. इकाई में नियोजित कुल रोजगार की जानकारी —

क्र.	विवरण	म.प्र.के मूल निवासी	म.प्र.से बाहर के निवासी	कुल
1.	प्रबंधकीय			
2.	सुपरवाइजर			
3.	श्रमिक			
		कुल		

10. अ. विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य एवं केन्द्रीय करों के अंतर्गत इकाई को अप्राप्त कुल इनपुट टेक्स क्रेडिट — राशि रु.....
- ब. विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत आवेदित वर्ष.....में इकाई को अप्राप्त कुल इनपुट टेक्स क्रेडिट — राशि रु.....

11. वर्ष 2016-17 में ग्राँस टर्नओवर/ कुल सप्लाई	स्थापित क्षमता अंतर्गत	विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत	कुल ग्राँस टर्न ओवर/ कुल सप्लाई
12. आवेदित वर्षमें कुल ग्राँस टर्नओवर/कुल सप्लाई	स्थापित क्षमता अंतर्गत	विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत	कुल ग्राँस टर्न ओवर/ कुल सप्लाई

13. उत्पादन प्रमाण पत्र/आईईएम पार्ट-बी में दर्ज उत्पादित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा :-

क्र.	वस्तु का नाम	वार्षिक क्षमता			
		नवीन इकाई	विस्तारित इकाई		
			स्थापित	विस्तारित	कुल

14. विस्तार/शवलीकृत इकाई के लिये :- आवेदित वर्ष में उत्पादित माल के विक्रय की जानकारी। विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा। स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा :-

क्र.	उत्पाद का नाम	स्थापित क्षमता में किया गया उत्पादन		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया उत्पादन		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय (स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को छोड़कर)।	
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि

15. ऐसी विस्तार/शवलीकृत इकाई जिनका उत्पादन दिनांक 31.03.2014 के पूर्व का है। दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के बीच हुआ है एवं जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 के बीच हुआ है। उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये विक्रय गणक आंकलित करने हेतु आवेदित वर्ष से पूर्व वर्षों के विक्रय की जानकारी। विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा। स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा :-

क्र.	उत्पाद का नाम	विगत प्रथम वर्ष 2014-15 में विक्रय				विगत द्वितीय वर्ष 2015-16 में विक्रय				विगत तृतीय वर्ष 2016-17 में विक्रय				वर्ष 2017-18 के विक्रय की जानकारी				वर्ष 2018-19 के विक्रय की			
		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय		स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत किया गया विक्रय	
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि

16. विस्तार/शवलीकृत इकाई के लिये जिनका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ हो :-

(अ) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 30.06.2017 की अवधि में जमा वैट/सीएसटी की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग के सत्यापन सहित :-

क्र.	उत्पाद का नाम	विस्तार पूर्व की स्थापित क्षमता का उत्पादन	विस्तारित क्षमता का उत्पादन	कुल उत्पादन	वाणिज्यिक उत्पादन दिनांकसे दिनांक 30.06.2017 की अवधि में किया गया विक्रय				उत्पादन दिनांक.....से 30.06.2017 की अवधि में किये गये उत्पादन के विरुद्ध विक्रय पर जमा वास्तविक कर राशि जिसमें क्रय किये गये कच्चेमाल पर चुकाए गए कर की राशि सम्मिलित नहीं है (राशि पूर्ण रूपों में)										
					स्थापित क्षमता में किया गया विक्रय		विस्तारित क्षमता में किया गया विक्रय		स्थापित क्षमता में जमा कर		विस्तारित क्षमता में जमा कर								
					मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	वैट	सीएसटी	वैट	सीएसटी	कुल जमा कर						

(ब) इकाईयां जिनका उत्पादन दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2017 की अवधि में हुआ है उनके लिये वर्ष 2017-18 तथा आगामी शेष वर्षों के लिये आधार राशि एवं औसत विक्रय की जानकारी। विक्रय में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया जावेगा। वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों हेतु स्टॉक ट्रांसफर से तात्पर्य शासनादेश शासनादेश दिनांक 15.03.2021 अनुसार रहेगा :-

उत्पाद का नाम	स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता	उत्पादन दिनांक से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में जमा किये गये टैक्स के आधार पर यथानुपात वर्ष 2017-18 में विस्तारित क्षमता में जमा कर (आधार राशि सम्पूर्ण पात्रता अवधि हेतु)	उत्पादन दिनांक.....से दिनांक 30.06.2017 की अवधि में विक्रय का यथानुपात (prorata) के आधार पर वर्ष 2017-18 का औसत वार्षिक विक्रय (वर्ष 2017-18 का विक्रय)				वित्तीय वर्ष 2018-19 का विक्रय				वित्तीय वर्ष 2019-20 का विक्रय								
			स्थापित क्षमता का विक्रय		विस्तारित क्षमता का विक्रय		स्थापित क्षमता का विक्रय		विस्तारित क्षमता का विक्रय		स्थापित क्षमता का विक्रय		विस्तारित क्षमता का विक्रय						
			मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि					

17. अन्य कोई विवरण :-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत सहायता राशि 18 प्रतिशत के दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी।

(हस्ताक्षर एवं सील)

(हस्ताक्षर एवं सील)

सांविधिक लेखापरीक्षक (Statutory auditor) /
चार्टर्ड एकाउंटेंट

नाम.....
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक /
मुख्य वित्तीय अधिकारी
इकाई का नाम

:: घोषणा पत्र ::

1. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा शासनादेश दिनांक 15.03.2021 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 से 17 तक दिया गया विवरण सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय की जानकारी में स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है।

विस्तार अंतर्गत सुविधा हेतु स्थापित क्षमता से ऊपर के अतिरिक्त विस्तारित क्षमता के उत्पादन पर किये गये विक्रय की ही जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें स्टॉक ट्रांसफर एवं निर्यात को शामिल नहीं किया गया है।

2. आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक—10 के **अ** एवं **ब** में उल्लेखित की गयी अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की जानकारी पूर्णतः सत्य है।
3. इकाई/कम्पनी की आवेदित वर्ष.....की बैलेंस शीट कम्पनी के ऑडिटर द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित की जा चुकी है/अंतिम रूप से सत्यापित नहीं की गई है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं स्वीकृत/वितरित सहायता राशि 18 प्रतिशत के दायिदक ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी।
5. मैं घोषणा करता हूँ कि शासन आदेश क्रमांक एफ 16—18/2017/ए—ग्यारह, दिनांक 22.06.2018, 06.08.2019 एवं 15.03.2021 के प्रावधान अनुसार सहायता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ तथा यह भी घोषणा करता हूँ कि इस वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दूंगा।

(हस्ताक्षर एवं सील)

नाम.....
प्रोपराइटर/पार्टनर/प्रबंध संचालक
/मुख्य वित्तीय अधिकारी
इकाई का नाम

साक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर :

1 : _____

2 : _____